भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3733
दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

†3733. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए विद्यालयों, प्रशिक्षित शिक्षकों और संवेदनशील बनाए गए छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाओं, आयोजित मॉक ड्रिल, और कार्यान्वित तथा गैर-संरचनात्मक सुरक्षा उपायों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वित या एकीकृत किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जारी किए गए दिशा-निर्देशों, बनाए गए प्रशिक्षण मॉड्यूलों और शिक्षा प्रणाली में विद्यालय सुरक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया था, जून 2011 में ₹48.47 करोड़ की कुल स्वीकृत लागत के साथ अनुमोदित एक प्रदर्शनात्मक परियोजना थी। यह कार्यक्रम 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) के 43 जिलों में स्थित 8,600 विद्यालयों में कार्यान्वित किया गया तथा मार्च, 2019 में समाप्त हुआ। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार जारी एवं उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): चूँकि राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम मार्च, 2019 में समाप्त हो गया था, इसलिए पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी विद्यालय, शिक्षक अथवा छात्र को शामिल नहीं किया गया। तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्ष 2025-26 के दौरान विद्यालय सुरक्षा संबंधी पृथक जागरूकता पहलें संचालित की हैं। इनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 2,082 विद्यालयों में जागरूकता

अभियान संचालित किए गए, जिनसे लगभग 12.02 लाख छात्र एवं 58,570 शिक्षक लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, छह राज्यों के छह जिलों में 1,793 विद्यालयों में पायलट कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनसे लगभग 2.60 लाख छात्र एवं 54,000 शिक्षक लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा लगभग 13,000 विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे 43 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान शिक्षकों को भी विद्यालय स्तर पर आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया क्षमता सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संवेदनशील बनाया जाता है।

(ग): राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा किया गया था। मूल्यांकन में कार्यक्रम की अवधि 31 दिसंबर, 2015 तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी।

(घ) से (च): राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के स्वीकृत घटकों में विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण एवं पुनरीक्षण, मॉक ड्रिल का आयोजन, त्वरित दृश्य सर्वेक्षण, गैर-संरचनात्मक शमन उपाय, आपदा तैयारी किटों का प्रावधान तथा प्रदर्शनात्मक संरचनात्मक रेट्रोफिटिंग शामिल थे। समन्वय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का अभिन्न अंग था। इसका क्रियान्वयन तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा संबंधित राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा नीति, 2016 पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के निर्माण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने, प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण, विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाओं के विकास, मॉक ड्रिल के आयोजन, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री के प्रसार, त्वरित दृश्य सर्वेक्षण, गैर-संरचनात्मक शमन उपायों तथा प्रदर्शनात्मक संरचनात्मक रेट्रोफिटिंग को समर्थन प्रदान किया गया।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3733, दिनांक 11.08.2026

अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जारी निधि (रुपये)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) (रुपये)
1	असम	17843264	17253855
2	अरुणाचल प्रदेश	17843264	17692780
3	बिहार	17843264	14166098
4	दिल्ली	2278958	1936693
5	गुजरात	17843264	17843264
6	हरियाणा	2653958	2938369
7	हिमाचल प्रदेश	17843264	18411027
8	जम्मू एवं कश्मीर	2653958	2653958
9	महाराष्ट्र	17843264	15180000
10	मणिपुर	17843264	20092108
11	मेघालय	17843264	17843264
12	मिजोरम	17843264	17843264
13	नागालैंड	17843264	17843264
14	पंजाब	17843264	2568445
15	राजस्थान	17468264	12977494
16	सिक्किम	17843264	17843264
17	त्रिपुरा	17843264	17843264
18	उत्तर प्रदेश	17843264	9911722
19	उत्तराखण्ड	17843264	19452137
20	पश्चिम बंगाल	17843264	17915989
21	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	17843264	17086682
22	चण्डीगढ़	7700000	4935223
	कुल (क)	336090626	302232164
